प्रेस विज्ञप्ति
28/01/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने 28/01/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **मेसर्स कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज** समूह से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। सभी अचल संपत्तियां आवासीय/व्यावसायिक भूमि के रूप में मथुरा (उप्र) में स्थित हैं।

ईडी ने कल्पतरु समूह और संबंधित संस्थाओं द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी, धन के गबन आदि के कई मामलों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत भारत भर के कई राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स केबीसीएल (कल्पतरु बिल्डटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड) और इसके निदेशकों/एजेंटों/प्रबंधकों ने निवेश और आवासीय/व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन के नाम पर जनता से 681 करोड़ रुपये की भारी जमा राशि एकत्र की थी और बाद में परिपक्वता राशि और भूखंडों के आवंटन के भुगतान में चूक की और इस राशि का उपयोग कल्पतरु समूह की कंपनियों के साथ-साथ उनके निदेशकों/एजेंटों/प्रबंधकों के नाम पर संपत्ति बनाने के लिए किया गया था। जांच के दौरान, ईडी ने पहले ही 83.96 करोड़ रुपये की 400 अचल संपत्तियां जब्त कर ली थीं । न्याय-निर्णयन प्राधिकरण द्वारा भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है।

ईडी ने 13.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जय किशन सिंह राणा और उनके 29 अन्य सहयोगियों सहित 20 कल्पतरु समूह कंपनियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 03.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

इसके अलावा, 18.12.2024 को कल्पतरु ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के 16 आवासीय/कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप निवेश और बेहिसाब नकदी से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।